



॥ श्री ॥

माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर, कम्प उज्जैन, म.प्र.

दिनांक 14/38-III-15

निगरानी क्रमांक

/2015-16

प्रार्थी अभिभाषक श्री *शुनील अक्सेला*
 द्वारा प्रस्तुत
 दिनांक *30/09/15*
 अधीक्षक *30/09/15*
 आयुक्त कार्यालय
 उज्जैन

शैलन्द्रकुमार पिता सुंदरलाल दवे, जाति-ब्राह्मण,
 आयु 50 वर्ष, धंधा-कृषि, निवासी-ग्राम भैसलाखुर्द
 तहसील बडनगर, जिला उज्जैनप्रार्थी

विरुद्ध

- 1 अनुश्री दवे पुत्री राजेन्द्र दवे निवासी-ग्राम भैसलाखुर्द तहसील बडनगर, जिला उज्जैन वर्तमान निवासी-192, सेठी नगर, उज्जैन
- 2 श्रीमती प्रतिभा दवे पति राजेन्द्र दवे, निवासी-192, सेठीनगर, उज्जैन
- 3 उर्मिला पति राजेन्द्र दवे, पुत्री रामचंद्र उपाध्याय हालमुकाम-आजमाबाद धतुरिया, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैनप्रतिप्रार्थीगण

काम का मा. उज्जैन
30/09/15

17
30/09/15

विषय :- धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. के अंतर्गत न्यायालय अपर कलेक्टर जिला उज्जैन के द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/निगरानी/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 30/09/2015 के विरुद्ध निगरानी।

[Signature]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R. 4138-III. 15. जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-5-2016	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री सुनील सक्सेना उप. उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया। अपर कलेक्टर जिला उज्जैन के प्र.क्र. 15/निगरानी/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 30-9-2015 का स्वयंप्रति लिपि का अवलोकन किया गया।</p> <p>2- अपर कलेक्टर जिला उज्जैन के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा निगरानी प्रचलन योग्य नहीं होने से व संविदा के प्रावधान के अनुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण निरस्त की गई है, जो अनियमित है। अतः अपर कलेक्टर का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से प्रथमदृष्टया यह निगरानी अग्रहण की जाती है।</p>	<p>अध्यक्ष</p>

अध्यक्ष